रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1235] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2008/भाद्र 6, 1930

No. 1235] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2008/BHADRA 6, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2008

का.आ. 2130(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 8 की उप-धारा (2), धारा 10 एवं धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, 30 नवम्बर, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को दिनांक 15 मार्च, 2008 को सं. सा.का.नि. 182(अ) के तहत अधिसूचित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियमावली, 2008 प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. पी-16011/7/05-पी एच]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2008

S.O. 2130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 7, Sub-section (2) of Section 8, Section 10 and Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby appoints 30th day of November, 2008 as the date on which the Cigarettes and Other products (Packaging and Labeling) Rules, 2008 notified *vide* No. G.S.R. 182(E), dated 15th March, 2008, shall come into force.

[F. No. P-16011/7/05-PH]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.

3243 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.